

## फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

ज अदालत- ..... सहायक कलक्टर ..... मुकाम- ..... डीडवाना .....

र्थी:- मोहम्मद अली खां पुत्र फैज मोहम्मद खां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला डीडवाना- कुचामन राजस्थान।

बनाम्

ार्थीगण :- जलालूदीन पुत्र सदीक जातिगण देशवाली निवासीगण शेखाबासनी तहसील डीडवाना जिला डीडवाना- कुचामन राजस्थान वगै.।

स्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या... 104/2025 सन्-2025

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
.05.2025	<p>प्रार्थी मोहम्मद अली खां पुत्र फैज मोहम्मद खां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला डीडवाना- कुचामन राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण जलालूदीन पुत्र सदीक जातिगण देशवाली निवासीगण शेखाबासनी तहसील डीडवाना जिला डीडवाना- कुचामन राजस्थान वगै. के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री फिरोज खान को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया। रिकॉर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे सरहद दौलतपुरा के पुराना खसरा संख्या (696/425) खसरा नम्बर 765 की भूमि पर विक्रय/हस्तानान्तरण नहीं करेंगे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नहीं रहेगा।</li> <li>2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें।</li> <li>3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.06.2025 को पेश हो।</li> </ol> <p style="text-align: center;"><i>ikas</i> उपखण्ड अधिकारी डीडवाना</p> <p>20/6/25 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. का अवकाश/अन्व कार्य/दौरे पर फयरे है। मिसल दिनांक 13/10/25 को पेश हुई</p> <p>10/7/25</p> <p>पत्रावली वकील पार्थी के आवेदन पर</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।</p> <p style="text-align: center;">10/7/25</p> <p style="text-align: center;">Note p/s</p>

४४- आज पेश है। वहील जहाँ के जहाँ पत्र पेश कर  
पत्रावली को पत्रों विज्ञे जारी करवाना चाहते हैं जहाँ  
कविवरता का जहाँ पत्र जमापहित है। सूचीका किता  
जाकर पत्रावली पत्रों विज्ञे / नोटबुक जारी की  
जाकर जहाँल शुभार लोक-मंत्र दे कर है।

Wera

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना